न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/78

मिसल नम्बर– 11/2025

1. सच्चानन्द माखीजा आयु 65 साल पुत्र स्वर्गीय श्री सन्तुमल माखीजा निवासी 201 कमला उद्यान कुन्हाड़ी पुलिस थाना कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान

प्रार्थी।

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र सच्चानंद माखिजा आयु 44 वर्ष
2. दीपिका पत्नी राकेश आयु 36 साल निवासी 201 कमला उद्यान कुन्हाड़ी पुलिस थाना कुन्हाड़ी कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/5/25

उपस्थितिः–

1.श्री आशीष माखिजा प्रार्थी अधिवक्ता।

2.अप्रार्थीगण स्वयं।

भरण–पोषण एवं वरिश्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी परिवादी 201 कमला उद्यान कुन्हाडी पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा राजस्थान में अपने परिवार के साथ निवास करता है तथा उक्त मकान परिवादी ने अपनी स्वअर्जित आय से बनाया गया है जिसके ग्राउन्ड फूलोर पर परिवादी व अपनी पत्नी व बंडे बेटे राकेश मखीजा व उसकी पत्नी दीपिका के साथ निवास करता था। प्रार्थी परिवादी के पुत्र राकेश माखीजा की शादी अप्रार्थी के साथ दिनाक 23–7–2023 को गुरूद्वारा आजमगढ साहिब बडगांव कोटा बून्दी रोड पर सम्पन्न हुयी। अप्रार्थी पूर्व पति से विवाह विच्छेद करने से पहले पति के नत्फे से पैदा हुआ एक 14 वर्ष का पूत्र साथ लेकर आयी थी। विवाह के बाद कुछ समय तक तो अप्रार्थी का व्यवहार प्रार्थी परिवादी व उसकी पत्नी के साथ अच्छा रहा परन्तु कुछ समय बाद ही अप्रार्थी के व्यवहार के परिवर्तन आने लगा वह आये दिन परिवादी व उसकी पत्नी जो कि सीनियर सिटीजन है उनके साथ कूरता पूर्वक व्यवहार करने लगी। अप्रार्थी परिवादी को कहती कि यह मकान मेरे नाम करदो तथा परिवादी ने उक्त मकान अप्रार्थी के नाम करने से मना किया तो अप्रार्थीया परिवादी के साथ गम्भीर मारपीट की तथा परिवादी व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गयी। परिवादी गम्भीर बीमारी बीपी, सुगर का पेशेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है ऐसे में अप्रार्थीया परिवादी व उसकी पत्नी की देखभाल नही करती है तथा उसे समय समय पर दवाई गोली लेने हेत् खाने की आवश्यकता होती है वह भी पूरा नहीं करती तथा आयेदिन घर में क्लेश का वातावरण बनाये रखती है तथा कहने पर अप्रार्थीया प्ररिवादी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने पर आमादा हो जाती है। अप्रार्थी को परिवादी के उक्त मकान में तृतीय फलोर पर रखने के लिए एक पोर्शन दे दिया है ताकि दोनों शांति पूर्वक निवास करे तब भी अप्रार्थीया के वयवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया तथा अप्रार्थीया तृतीय फलोर की बालकोनी से कचरा व पानी फेकंती है जो परिवादी के चौक व रास्ते में आकर गिरता है जिससे परिवादी का चौक व रास्ता गन्दा हो जाता है परिवादी ने मना किया तो अप्रार्थीया ने परिवादी के साथ गम्भीर मारपीट करी। अप्रार्थीया एक पढ़ी लिखी महिला है तथा प्राईवेट नौकरी कर काफी अच्छी आमदनी कर लेती है फिर भी परिवादी से उसकी सेवा न कर उसके साथ लडाई झगडा करने पर आमादा रहती है तथा घर का कोई काम धाम नहीं करती अप्रार्थीया ने सारे जेवर व पैसा अपने पावर व पजशन में ले रखा है अप्रार्थीया आये दिन घर में लेट रात्री में आती है तथा परिवादी पूछता है तो अप्रार्थीया परिवादी के साथ लडाई झगडा करती है। परिवादी के साथ अप्रार्थीया ने अक्टूबर 2023 में भी मकान अपने नाम कराने की बात को लेकर मारपीट करी जिसकी रिपोर्ट परिवादी द्वारा थाना कुन्हाडी में कराई जिस पर थाना कुन्हाडी द्वारा धारा 107, 116(3) सीआरपीसी में दर्ज किया गया है। माह नवम्बर 2023 में भी परिवादी व अप्रार्थीया के मध्य लडाई झगडा हुआ था जिसकी रिपोर्ट थाना कुन्हाडी में अप्रार्थीया के विरूद्ध परिवादी द्वारा दर्ज करायी गयी थी। दिसम्बर 2023 में भी परिवादी ने अप्रार्थीया से कहा कि उपर से कचरा क्यों फेंक रही हो उस बात पर अप्रार्थीया ने परिवादी के साथ नीचे आकर गम्भीर मारपीट की जिससे परिवादी के हाथ के पंजे व हाथ पर गम्भीर चोटे आयी। जिसकी रिपोर्ट भी पूलिस थाना कुन्हाडी में शांति भंग में करायी गयी लेकिन कार्यवाही नहीं हुयी जिसके दस्तावेज साथ सलग्न है। जून 2024 में भी अप्रार्थीया जब घर पर लेट आयी तो परिवादी ने कहा कि बिना बताये जाती हो तथा रात को लेट आती हो इस बात को लेकर परिवादी से अप्रार्थीया ने लडाई झगडा किया तथा धमकी दी कि उसे टोका टाकी की तो वह परिवादी का जीना हराम कर देगी तथा अप्रार्थीया ने परिवादी से कहा कि मै किसी से नहीं डरती परिवादी अपने ही मकान में डरा सहमा रहता है उसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक शहर कोटा साहब को परिवाद दिया गया। लेकिन उसमें भी कार्यवाही नहीं हुयी। अप्रार्थीया एक गुस्सेल एवं मगरूर प्रवृत्ति की महिला है जो अपने से बडो का सम्मान नहीं करती है तथा एक आपराधि प्रकरण अप्रार्थीया के खिलाफ न्यायालय जुडिशियल मजि० कम सख्या 1 साउथ कोटा में जैरकार है जिसमें आगमी पेशी दिनांक 13–2–25 नियत है। दिनांक 6–12–24 की रात्री को 10 बजे दीपिका बाहर से घूमती हुयी अकेली आयी तो प्रार्थी परिवादी घर पर मेन गेट पर ताला लगा हुआ था तो अप्रार्थीया ताला तोड़कर अन्दर आ गयी अप्रार्थीया के इस कृत्य का परिवादी ने विरोध किया तो लड़ाई झगडा करते हुए परिवादी का सामना करने लगी जिसकी शांतिभंग की रिपोर्ट परिवादी द्वारा थाना कुन्हाडी कोटा में दिनांक 6–12–24 को दी गयी। परिवादी को अप्रार्थी द्वारा मानसिक आर्थक शारीरिक रूप से कूरता पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है परिवादी दिनांक 2–7––24 से 4–7–24 को होस्पिटल में एडमिट

उपखण्ड अधिकारी

रहा जिस पर भी अप्रार्थीया ने परिवादी की कोई सार सम्भाल व देखभाल नहीं की गयी ना ही होस्पिटल में खर्चा दिया बड़ी मूकिश्ल से परिवादी ने उधार राशि लेकर अपना ईलाज कराया। जिसके मेडिकल दस्तावेज सलग्ंन है। अप्रार्थीया एक अच्छी नोकरी से माहवार करीबन 20 हजार रूपये की आमदनी कर लेती है तथा प्रार्थीया के खिलाफ पुलिस थाना कन्हाडी कोटा में कई प्रकरण दर्ज है जो इस परिवाद के साथ सलग्न कए जा हे है। अप्रार्थीया सम्पन्न है तथा उसके पास उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन है फिर भी परिवादी व उसकी पत्नी को परेशान करती रहती है। तथा उनका किसी प्रकार से ध्यान नहीं रखती है उल्टा परेशान करती है तथा परिवादी व उसकी पत्नी के साथ लडाई झगड़ा व मारपीट करने को हमेशा तैयार व तत्पर रहती है। अतः परिवाद पेशकर निवेदन है कि परिवादी को अप्रार्थी से भरण पोषण के लिए 10 हजार रूपये मासिक दिलवाया जावे तथा साथ ही सीनियर सिटीजन जो कि काफी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है जिसके पास भरण पोषण हेतु आय का कोई साधन नहीं है अप्रार्थीया से भरण पोषण राशि दिलवायी जावे तथा अपनी चल अचल सम्पत्ति से अप्रार्थीया व उसके पुत्र को बेदखल किया जावे अप्रार्थीया को उक्त परिवादी की और उसकी पत्नी को शांति पूर्वक जीवन यापन करने के लिए पाबंद किया जावे तथा अन्य सहायता जो भी माननीय न्यायालय न्यायाचित समझै वह भी परिवादी व उसकी पत्नी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से बहस में प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवं न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में दर्ज प्रकरण की प्रति पेश की। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि थानाधिकारी थाना कुन्हाड़ी द्वारा दिनांक 26.07.2024 को इस्तगासा अन्तर्गत धारा 126,135(3) सीआरपीसी श्रीमति दीपीका पत्नी श्री राकेश माखीजा के विरूद्ध इलाका हाजा में शांति व कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की सम्भावना के कारण न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में पेश गया। जिसमें न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा श्रीमती दीपिका पत्नी राकेश माखीजा को 6 माह के लिये परिशांति कायम रखने हेतु पाबंद करने के लिए दिनांक 29.07.2024 को प्रकरण दर्ज कर किया गया। अप्रार्थीगण को प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होने के पश्चात भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करना अप्रार्थीगण का न्यायालय एवं न्यायिक कार्यवाही के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही किये जाने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। पत्रावली में संलग्न नगर विकास न्यास कोटा द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जारी आवंटन पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित मकान 201 कमला उद्यान कुन्हाड़ी पुलिस थाना कुन्हाड़ी कोटा प्रार्थी एवं उनकी पत्नि की स्व–अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थी अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने हेतु स्वतंत्र हैं। प्रार्थी को पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करने के बजाय प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी त्रस्त है। अप्रार्थीगण एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति करते रहते है। अतः प्रार्थी को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत नही किये जाने के कारण एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान 201 कमला उद्यान कुन्हाड़ी पुलिस थाना कुन्हाड़ी कोटा से बेदखल किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 5 योम मकान 201 कमला उद्यान कुन्हाड़ी पुलिस थाना कुन्हाड़ी कोटा को खाली कर देवें। बेदखली के आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी कुन्हाड़ी कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें। चूंकि प्रार्थी वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थी अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः अप्रार्थी क्रम 1 को आदेशित किया जाता है कि अपने पिता को 4000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा